

ग्राम फतेहपुर अट्टा, के 100.9381 हे० ,35.4367 हे०, 40.9446 हे० व 2.4530 हे० अर्जित/बैनामा प्राप्त भूमि के सापेक्ष 07 प्रतिशत आबादी आबंटन हेतु पात्र काशतकारों की अन्तिम सूची - 'क'

क्रम सं०	खाता संख्या	काश्तकार का नाम व निवास स्थान	अधिग्रहित / क्रय भूमि का खसरा सं०	अधिग्रहित / क्रय भूमि का क्षेत्रफल	काश्तकार भाग	काश्तकार का भागानुसार क्षेत्रफल	अधिग्रहीत भूमि का 7 प्रतिशत क्षेत्र वर्गमीटर	वास्तविक रूप से दिये जाने वाला भूखण्ड का क्षेत्र वर्गमीटर	SIT जॉच में अंकित टिप्पणी	चक्रबन्दी अधिकारी गौतमबुद्धनगर तथा अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) गौतमबुद्धनगर के कार्यालय से आख्या	अन्य विवरण						
1	359A	श्रीमती शहजादी पत्नी इन्तजाम नि० ग्राम	311	0.0772	में से	0.0967	149	150	बनोबल अधिकारी चक्रबन्दी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.08.2018 द्वारा पी०अ०/ए० संख्या 33088/2014 के क्रम में गठित जात सर्वेक्षित की आख्या में प्ररमगत चक्र/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है	सलम 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.08.2018 की पुष्टि करते हुये सलम 8 की टिप्पणी सत्यापित।							
	312		0.0632														
313	0.1265																
314	0.0379																
315	0.0822																
				0.3870													
	121A		435	0.2327	1/2	0.1163			चक्र संख्या 121 के गाटा संख्या 435 के सम्बन्ध में सर्वेक्षित विचार/की है	उपसवालक चक्रबन्दी गौतमबुद्धनगर गिरावली संख्या 158/2018 चत 486(3)गत चक्र/गाटा में दिनांक 16.09.2020 को आदेश परित होकर चक्र संख्या 121 के गाटा संख्या 435 के सर्वेक्षित को अनुमोदित किया जा चुका है जिस कारण वर्तमान में चक्र संख्या 121 के गाटा संख्या 435 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है							
2	100	जाफरुद्दीन पुत्र नजाफ अली नि० ग्राम	291	0.0379	सम्पूर्ण	0.2447	344	340	बनोबल अधिकारी चक्रबन्दी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.08.2018 द्वारा पी०अ०/ए० संख्या 33088/2014 के क्रम में गठित जात सर्वेक्षित की आख्या में प्ररमगत चक्र/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है	सलम 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.08.2018 की पुष्टि करते हुये सलम 8 की टिप्पणी सत्यापित।							
	293		0.2068														
	TOTAL		0.2447														
	202			394	0.0759	1/2						0.2470					
	395			0.1391													
	396			0.0759													
	397/1			0.0632													
	422			0.1221													
	423			0.0177													
	TOTAL	0.4939		0.4917													
G.Total	0.7386																
3	149	मूसी पुत्र मदेखी नि० ग्राम	349	0.0772	सम्पूर्ण	1.4268	999	1000	बनोबल अधिकारी चक्रबन्दी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.08.2018 द्वारा पी०अ०/ए० संख्या 33088/2014 के क्रम में गठित जात सर्वेक्षित की आख्या में प्ररमगत चक्र/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है	सलम 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.08.2018 की पुष्टि करते हुये सलम 8 की टिप्पणी सत्यापित।							
	350		0.1202														
	410		0.0025														
	411		0.0866														
	412		0.1771														
	487		0.1897														
	488/1		0.2156														
	489		0.2594														
	490/1		0.0063														
	490/2		0.0063														
	490/3		0.1151														
	491/1		0.0126														
	491/2		0.0063														
	491/3		0.0127														
	492/1		0.0228														
	492/2		0.0240														
	492/3		0.0759														
	488/1		0.0115														
	489m		0.0050														

			TOTAL	1.4268						
4	80	मासूक अली पुत्र गम्मान नि० ग्राम	556	0.0411	1/6	0.0943	67	70	बनोबरत अधिकारी वकबन्दी गीतमबुद्धनगर की पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05. 2018 द्वारा पीछाआइएल० संख्या 33088/2014 की कुम में गठित जाय संसिती की आख्या में प्रमाणित वक/गाटाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल दिव्यानी नहीं है	सम्भ 4 में उत्तिरिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रैषित आख्या दिनांक 11 05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्भ 8 की दिव्यानी संस्थापित।
			557	0.1518						
			430	0.3352						
			446	0.0379						
			TOTAL	0.5660						
	328A (35h)		730/2	0.0633	1/36 भाग	0.0018			वकबन्दी विभाग द्वारा प्रैषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रमाणित खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल दिव्यानी नहीं है।	सम्भ 5 में उत्तिरिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रैषित आख्या दिनांक 11 05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्भ 9 की दिव्यानी संस्थापित।
	349 (35h)		02M	0.0164	1/18	0.0009			वकबन्दी विभाग द्वारा प्रैषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रमाणित खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल दिव्यानी नहीं है।	सम्भ 5 में उत्तिरिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रैषित आख्या दिनांक 11 05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्भ 9 की दिव्यानी संस्थापित।
			TOTAL	0.6457		0.0969				
5	80	शौकत अली पुत्र गम्मान नि० ग्राम	556	0.0411	1/6	0.0943	67	70	बनोबरत अधिकारी वकबन्दी गीतमबुद्धनगर की पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05. 2018 द्वारा पीछाआइएल० संख्या 33088/2014 की कुम में गठित जाय संसिती की आख्या में प्रमाणित वक/गाटाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल दिव्यानी नहीं है	सम्भ 4 में उत्तिरिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रैषित आख्या दिनांक 11 05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्भ 8 की दिव्यानी संस्थापित।
			557	0.1518						
			430	0.3352						
			446	0.0379						
			Total	0.5660						
	328A (35h)		730/2	0.0633	1/36	0.0017			वकबन्दी विभाग द्वारा प्रैषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रमाणित खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल दिव्यानी नहीं है।	सम्भ 5 में उत्तिरिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रैषित आख्या दिनांक 11 05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्भ 9 की दिव्यानी संस्थापित।
	349 (35h)		02M	0.0164	1/18	0.0009				
			G.Total	0.6457		0.0969				
6	80	सरफराज पुत्र सलीम अहमद व समीना पत्नी सलीम अहमद नि० ग्राम	556	0.0411	1/6	0.0943	66	70	बनोबरत अधिकारी वकबन्दी गीतमबुद्धनगर की पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05. 2018 द्वारा पीछाआइएल० संख्या 33088/2014 की कुम में गठित जाय संसिती की आख्या में प्रमाणित वक/गाटाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल दिव्यानी नहीं है	सम्भ 4 में उत्तिरिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रैषित आख्या दिनांक 11 05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्भ 8 की दिव्यानी संस्थापित।
			557	0.1518						
			430	0.3352						
			446	0.0379						
			TOTAL	0.5660						
7	80	यासीन अहमद पुत्र गम्मान नि० ग्राम	556	0.0411	1/6	0.0943	66	70	बनोबरत अधिकारी वकबन्दी गीतमबुद्धनगर की पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05. 2018 द्वारा पीछाआइएल० संख्या 33088/2014 की कुम में गठित जाय संसिती की आख्या में प्रमाणित वक/गाटाओ	सम्भ 4 में उत्तिरिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रैषित आख्या दिनांक 11 05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्भ 8 की दिव्यानी संस्थापित।
			557	0.1518						
			430	0.3352						
			446	0.0379						
			TOTAL	0.5660						

									की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	
8	80	वकील अहमद पुत्र गम्मान नि० ग्राम	556	0.0411	1/6	0.0943	67	70	बनौबरल अधिकारी प्रकबन्दी गौतमकुमार को पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाओरएल० संख्या 33088/2014 को कुम से गठित जात समिति की आख्या में प्रस्तावत धक/गाटाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	संलग्न 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये संलग्न 8 की टिप्पणी सत्यापित।
			557	0.1518						
			430	0.3352						
			446	0.0379						
			Total	0.5660						
	328A		730/2	0.0633	1/36	0.0018			प्रकबन्दी विभाग द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रस्तावत खरारा सम्वतान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	संलग्न 5 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये संलग्न 9 की टिप्पणी सत्यापित।
	349		02M	0.0164	1/18	0.0009				
			G.TOTAL	0.6457		0.0970				
9	80	मौहरम अली पुत्र गम्मान नि० ग्राम	556	0.0411	1/6	0.0943	66	70	बनौबरल अधिकारी प्रकबन्दी गौतमकुमार को पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाओरएल० संख्या 33088/2014 को कुम से गठित जात समिति की आख्या में प्रस्तावत धक/गाटाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	संलग्न 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये संलग्न 8 की टिप्पणी सत्यापित।
			557	0.1518						
			430	0.3352						
			446	0.0379						
			TOTAL	0.5660						
10	56	यागीन खों पुत्र औसाम अली नि० ग्राम	320	0.1138	1/3	0.4962	347	350	बनौबरल अधिकारी प्रकबन्दी गौतमकुमार को पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाओरएल० संख्या 33088/2014 को कुम से गठित जात समिति की आख्या में प्रस्तावत धक/गाटाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	संलग्न 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये संलग्न 8 की टिप्पणी सत्यापित।
			321	0.0443						
			322	0.0885						
			323	0.0759						
			324	0.1012						
			325	0.2277						
			326	0.0759						
			360	0.0126						
			361	0.0291						
			362	0.2403						
			363	0.2530						
			364	0.1214						
			365	0.1050						
			TOTAL	1.4887						
11	56	आस मौहम्मद पुत्र औसाम अली नि० ग्राम	320	0.1138	1/3	0.4962	347	350	बनौबरल अधिकारी प्रकबन्दी गौतमकुमार को पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाओरएल० संख्या 33088/2014 को कुम से गठित जात समिति की आख्या में प्रस्तावत धक/गाटाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	संलग्न 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये संलग्न 8 की टिप्पणी सत्यापित।
			321	0.0443						
			322	0.0885						
			323	0.0759						
			324	0.1012						
			325	0.2277						
			326	0.0759						
			360	0.0126						
			361	0.0291						
			362	0.2403						
			363	0.253						
			364	0.1214						
			365	0.105						
			TOTAL	1.4887						
12	253	असर मौहम्मद पुत्र औसाम अली नि० ग्राम	320	0.1138	1/3	0.4962	347	350	बनौबरल अधिकारी प्रकबन्दी गौतमकुमार को पत्र संख्या	संलग्न 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते
			321	0.0443						
			322	0.0885						

			323	0.0759					67/रीडर दिनांक 11.05 2018 द्वारा गौतमबुद्धनगर संख्या 33088/2014 के क्रम में गठित जाव रसिद की आख्या में प्रस्ताव चक/गाटाओं की मुंज के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	हुसे समन 8 की टिप्पणी सम्पादित।		
			324	0.1012								
			325	0.2277								
			326	0.0759								
			360	0.0126								
			361	0.0291								
			362	0.2403								
			363	0.253								
			364	0.1214								
			365	0.1050								
			TOTAL	1.4887								
13	42	इन्तजाम अली पुत्र अहमद नि० ग्राम	332	0.1012	सम्पूर्ण	1.4097	987	990	बन्दीबस्त अधिकारी चकबन्दी गौतमबुद्धनगर की पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05 2018 के अन्तर्गत प्राप्त आख्या से चक संख्या 42 के गाटा संख्या 410 प्रमदित है व गाटा संख्या 332 333 334 352 353/1 353/2 354/2 404 405 406 407 408 409 415 में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है किन्तु प्रतिकर की धमराशि का वितरण किया जाना उचित नहीं है।	चक संख्या 42 के गाटा संख्या 410 का सन्दर्भ उपसंचालक चकबन्दी न्यायालय से अनुमोदित हो चुका है। तथा चक संख्या 42 में प्रदिष्ट गाटा संख्या 332,333,334,352,353/1 353/2,2354/2,404,405 40,407,408,409,415 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।		
			333	0.098								
			334	0.019								
			352	0.0253								
			353/1	0.3036								
			353/2	0.0215								
			354/2	0.0063								
			404	0.0828								
			405	0.2169								
			406	0.2625								
			407	0.1044								
			408	0.0379								
			409	0.0734								
			410	0.0443								
			415	0.0126								
		TOTAL	1.4097									
14	59	नूर हसन व अरबाज ना०बा०संरक्षणी पत्नी कालू पुत्रगण कालू शनी पत्नी कालू नि० ग्राम	333	0.0158	सम्पूर्ण	1.1072	751	750	बन्दीबस्त अधिकारी चकबन्दी गौतमबुद्धनगर की पत्र संख्या 67/रीडर के अन्तर्गत प्राप्त आख्या से चक संख्या 59 के गाटा संख्या 351 बजर दर्ज व प्रमदित बा जिससे कुछको की अतिरिक्त प्रतिकर देना उचित नहीं होगा प्रस्ताव गाटाओं 333,334,335,33 6,337,338,350 351,352,353,40 6,410,487/1,4 1,488/1,488 /2,489/1,48 9/2 के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है किन्तु उत्प्रेक्षित तथ्यों को आलोचक में प्रतिकर की धमराशि का वितरण किया जाना उचित नहीं है।	गाटा संख्या 351 पूर्व में बजर दर्ज पर पञ्चमधिकारी विक्रयवास्तव रसिद दिनांक 30.05.87 द्वारा पट्टा आदिता हुआ अत गाटा 351 वर्तमान में कुचकागोरी के चको में प्रदिष्ट होने के उपरान्त अधिप्रीत होने के कारण गाटा संख्या 351 के सम्बन्ध में व उपसंचालक चकबन्दी अधिकारी गौतमबुद्धनगर निगरानी वाद संख्या 107/17-18 द्वारा 48(3)जोच्य अधि० में दिनांक 16.09.2020 को आदेश पत्रित होकर चक संख्या 352 के सन्दर्भ को अनुमोदित किया जा चुका है गाटा संख्या 352 के सम्बन्ध में व गाटा संख्या 333,334,335,336,337,33 8,350,353,408,410,487 /1,411,488/1,488/2 489/1,489/2 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।		
			334	0.0442								
			335	0.2024								
			336	0.0633								
			337	0.0253								
			350	0.0974								
			351	0.1897								
			352	0.1423								
			353	0.0164								
			406	0.0152								
			410	0.0291								
			487/1	0.0506								
			411	0.0866								
			488/1	0.0759								
			488/2	0.0126								
		489/1	0.0265									
		489/2	0.0126									
		TOTAL	1.0734									
15	185	खुरशेद अली पुत्र शेरुद्दीन नि० ग्राम	472	0.0892	1/4	0.1799	125	120	गाटा संख्या 475 का बन्दीबस्त रकबा 1-8-0 है गाटा की अधिप्रीत/प्रति कर विवरित रकबा बन्दीबस्त रकबे से अधिक नहीं है।	गाटा संख्या 475 का प्रतिकर बन्दीबस्त रकबे 1-8-0 की सीमा के अन्दर विवरित है अत चक संख्या 185 के गाटा संख्या 475 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।		
			473	0.3510								
			474	0.2024								
			475	0.0670								
			478	0.0101								
		TOTAL	0.7197									
16	185	फारुख अली पुत्र शेरुद्दीन नि० ग्राम	472	0.0892	1/4	0.1799	125	120	गाटा संख्या 475 का बन्दीबस्त रकबा 1-8-0 है गाटा की अधिप्रीत/प्रति कर विवरित रकबा बन्दीबस्त रकबे से अधिक नहीं है।	गाटा संख्या 475 का प्रतिकर बन्दीबस्त रकबे 1-8-0 की सीमा के अन्दर विवरित है अत चक संख्या 185 के गाटा संख्या 475 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।		
			473	0.3510								
			474	0.2024								
			475	0.0670								
			478	0.0101								
		TOTAL	0.7197									
17	185	नजाकत अली पुत्र शेरुद्दीन नि० ग्राम	472	0.0892	1/4	0.1799	125	120	गाटा संख्या 475 का बन्दीबस्त रकबा 1-8-0 है गाटा की अधिप्रीत/प्रति कर विवरित रकबा बन्दीबस्त रकबे से अधिक नहीं है।	गाटा संख्या 475 का प्रतिकर बन्दीबस्त रकबे 1-8-0 की सीमा के अन्दर विवरित है अत चक संख्या 185 के गाटा संख्या 475 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।		
			473	0.3510								
			474	0.2024								
			475	0.0670								
			478	0.0101								

18	185	आबिद अली पुत्र सैरुद्दीन निगो ग्राम	TOTAL	0.7197	1/4	0.1799	125	120	गाटा संख्या 475 का बन्दोबस्ती रकबा 1-8-0 है गाटा की अप्रतिष्ठित / प्रति कर विवरित रकबा बन्दोबस्ती रकबे से अधिक तो नहीं है।	गाटा संख्या 475 को प्रतिकूल बन्दोबस्ती रकबे 1-8-0 की सीमा के अन्तर विवरित है आत वक्र संख्या 185 के गाटा संख्या 475 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	
			472	0.0892							
			473	0.3510							
			474	0.2024							
			475	0.0670							
			478	0.0101							
19	176	फताह मीहम्मद पुत्र बारे निगो ग्राम	550/4	0.1252	सम्पूर्ण	0.4741	331	330	गाटा संख्या 577 का बन्दोबस्ती रकबा 0-15-0 है तथा गाटा संख्या 578 का बन्दोबस्ती रकबा 0-16-0 है। गाटा की अप्रतिष्ठित / प्रति कर विवरित रकबा बन्दोबस्ती रकबे से अधिक तो नहीं है।	घक संख्या 176 के कुचकागम कहल मीहम्मद पुत्र बारे के घक प्रतिष्ठित गाटा संख्या 577 रकबा 0-2-0 में से 0-0-5 रकबा कम करते हुये गाटा संख्या 577 के अवशेष बचे रकबे 0-1-15 की सीमा तक तथा गाटा संख्या 578 रकबा 0-7-14 में से 0-0-13 रकबा कम करते हुये गाटा संख्या 578 के अवशेष बचे रकबा 0-7-1 की सीमा तक कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	
			550/5	0.0987							
			552	0.1151							
			577/2	0.0221							
			578/1	0.0300							
			578/2	0.0590							
20	15 18	मुस्ताक, पप्पू अल्ताफ व ताज मोहम्मद पुत्रमण अब्दुल बहीम निगो ग्राम	319/2	0.0354	सम्पूर्ण	1.7847	1271	1270	गाटा संख्या 318 का बन्दोबस्ती रकबा 1-9-10 है गाटा क अप्रतिकर विवरण रकबे की बन्दोबस्ती रकबे 1-5-10 की सीमा के अन्तर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है दूसरा मिलान कर लिया जाये तथा गाटा संख्या 321/1 के न्यान पर 321/2 होना चाहिए	घक संख्या 15 व 18 के कुचकागम मुस्ताक और के घक में प्रतिष्ठित गाटा संख्या 318 रकबा 0-9-9(0.1195 हे) के प्रतिकर विवरण रकबे की बन्दोबस्ती रकबे 1-5-10 की सीमा के अन्तर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। तथा घक संख्या 15 व 18 में अधिलेखा में गाटा संख्या 321/2 रकबा 0-3-10 प्रतिष्ठित है तथा गाटा संख्या 321/1 रकबा 0-3-10 0.0443 के न्यान पर गाटा संख्या 321/2 रकबा 0.0443 रुब है।	मुताक भीमाली अजगरी चर्च खन्वी पत्नी स्वा श्री अब्दुल वहीद के बारिसो के नाम दर्ज।
			320	0.0569							
			365	0.1044							
			366	0.2087							
			368	0.1316							
			369	0.0658							
			371	0.0885							
			372	0.0632							
			373	0.0253							
			319/2	0.0126							
			320	0.0506							
			373	0.0329							
			374	0.0379							
			316/1	0.005							
			318/2	0.1195							
			319/2	0.6325							
			320	0.0696							
			321/2	0.0443							
				1.7847							
			41C (35h)						53	0.0759	
	54/1	0.0886									
	737	0.0588									
		0.2233									
	66A (35h)		53	0.1770	1/16	0.0295			घकबन्दी बिभाग द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रश्नगत खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	संलग्न 5 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की सुष्टि करते हुये संलग्न 9 की टिप्पणी सत्यप्रति।	
			54/1	0.0632							
			54/2	0.1265							
			737	0.1056							
				0.4723							
	166 (35h)		03M	0.0253	1/96	0.0003			घकबन्दी बिभाग द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रश्नगत खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	संलग्न 5 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की सुष्टि करते हुये संलग्न 9 की टिप्पणी सत्यप्रति।	
		Total		2.5056							
	22	256	लीला पुत्र अहमद निगो ग्राम	326	0.1391	सम्पूर्ण	1.2645	945	940	गाटा संख्या 356 का बन्दोबस्ती रकबा 0-10-0 है तथा गाटा संख्या 357 का बन्दोबस्ती रकबा 0-5-0 है गाटा की अप्रतिष्ठित / प्रति कर विवरित रकबा बन्दोबस्ती रकबे से अधिक तो नहीं है दूसरा मिलान कर लिया जाये।	गाटा संख्या 356 का बन्दोबस्ती रकबे की सीमा तक रखे जाने के प्रतिष्ठित परमाणुसार घक संख्या 256 के काराशकार लीला पुत्र अहमद से गाटा संख्या 356 में 0-0-10 कम करते हुये गाटा संख्या 356 में रकबा 0-2-12 की सीमा तक व गाटा संख्या 357 में रकबा 0-5-17 कम करते हुये गाटा 357 के अवशेष बचे रकबा 0-4-3 की सीमा तक कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
327/1				0.0247							
327/2				0.0316							
328				0.0190							
355/1				0.0632							
355/2				0.0189							
356				0.0328							
357				0.0524							
358				0.0632							
359				0.0632							
360				0.0506							
397/1				0.3049							



[illegible]

			G.Total	1.2592		0.2518			आख्या में प्रश्नगत धक/गाटाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	
25	62	खलील पुत्र स्व० अब्दुल शकूरा नि० ग्राम	475	0.0253	1/5	0.0627	176	180	गाटा संख्या 475 का बन्दोबस्ती रकबा 1-8-0 है जिसके सम्बन्ध प्रतिकर धक संख्या 185 में रकबा 0.0670 धक संख्या 114 अ में 0.1771 हे० धक संख्या 57 में 0.0371 हे० धक संख्या 62 में रकबा 0.0253 हे० धक संख्या 201 में रकबा 0.0253 हे० का विवरण है जिसका कुल योग 0.3318 हे० है जो बन्दोबस्ती रकबे 1-8-0 की सीमा के अन्दर है।	
	477		0.1746							
	478		0.1138							
	TOTAL		0.3137							
	279		477M	0.3264	1/5	0.1891			बन्दोबस्त अधिकारी धकबन्दी गीतमदुद्दामगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाओएल० संख्या 33088/2014 के क्रम में गठित जाय सर्वेक्षित की आख्या में प्रश्नगत धक/गाटाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	समम 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये समम 8 की टिप्पणी सत्यापित।
			480M	0.0506						
			481M	0.1233						
			482M	0.0613						
			558	0.1518						
			565	0.1436						
			566	0.0885						
			Total	0.9455						
			G.Total	1.2592		0.2518				
26	62	जमील पुत्र स्व० अब्दुल शकूरा नि० ग्राम	475	0.0253	1/5	0.0627	176	180	गाटा संख्या 475 का बन्दोबस्ती रकबा 1-8-0 है जिसके सम्बन्ध प्रतिकर धक संख्या 185 में रकबा 0.0670 धक संख्या 114 अ में 0.1771 हे० धक संख्या 57 में 0.0371 हे० धक संख्या 62 में रकबा 0.0253 हे० धक संख्या 201 में रकबा 0.0253 हे० का विवरण है जिसका कुल योग 0.3318 हे० है जो बन्दोबस्ती रकबे 1-8-0 की सीमा के अन्दर है।	
	477		0.1746							
	478		0.1138							
	TOTAL		0.3137							
	279		477M	0.3264	1/5	0.1891			बन्दोबस्त अधिकारी धकबन्दी गीतमदुद्दामगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाओएल० संख्या 33088/2014 के क्रम में गठित जाय सर्वेक्षित की आख्या में प्रश्नगत धक/गाटाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	समम 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये समम 8 की टिप्पणी सत्यापित।
			480M	0.0506						
			481M	0.1233						
			482M	0.0613						
			558	0.1518						
			565	0.1436						
			566	0.0885						
			Total	0.9455						
			G.Total	1.2592		0.2518				
27	62	शाहीद खॉ पुत्र स्व० अब्दुल शकूरा नि० ग्राम	475	0.0253	1/5	0.0627	176	180	गाटा संख्या 475 का बन्दोबस्ती रकबा 1-8-0 है जिसके सम्बन्ध प्रतिकर धक संख्या 185 में रकबा 0.0670 धक संख्या 114 अ में 0.1771 हे० धक संख्या 57 में 0.0371 हे० धक संख्या 62 में रकबा 0.0253 हे० धक संख्या 201 में रकबा 0.0253 हे० का विवरण है जिसका कुल योग 0.3318 हे० है जो बन्दोबस्ती रकबे 1-8-0 की सीमा के अन्दर है।	
	477		0.1746							
	478		0.1138							
	TOTAL		0.3137							
	279		477M	0.3264	1/5	0.0627			बन्दोबस्त अधिकारी धकबन्दी गीतमदुद्दामगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाओएल० संख्या 33088/2014 के क्रम में गठित जाय सर्वेक्षित की आख्या में प्रश्नगत धक/गाटाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	समम 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये समम 8 की टिप्पणी सत्यापित।
			480M	0.0506						
			481M	0.1233						
			482M	0.0613						
			558	0.1518						
			565	0.1436						
			566	0.0885						
			Total	0.9455						
			G.Total	1.2592		0.2518				

									सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल दिव्यानी नहीं है	
28	213	अफसर अहसान उर्फ रहमान, फरमान, लुकमान पुत्रगण अब्दुल मजीद, मु० अफसाना पत्नी अब्दुल मजीद नि० ग्राम	464	0.0038	सम्पूर्ण	0.2713	189	190	बन्दोबरत अधिकारी धकबन्दी गीतमबुद्दुनगर की पत्र संख्या 67/रीटर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाआर्दएल० संख्या 33088/2014 की कृम में गठित जांच समिति की आख्या में प्रस्तावत धक/गादाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल दिव्यानी नहीं है	सम्म 4 में उल्लिखित गाढी के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्म 8 की दिव्यानी सव्यापित।
			465	0.0126						
			467	0.0012						
			471	0.1202						
			472	0.1335						
			Total	0.2713						
29	6	अफसर अहसान उर्फ रहमान, फरमान, लुकमान पुत्रगण अब्दुल मजीद, मु० अफसाना पत्नी अब्दुल मजीद नि० ग्राम	455	0.1537	सम्पूर्ण	0.2612	180	180	बन्दोबरत अधिकारी धकबन्दी गीतमबुद्दुनगर की पत्र संख्या 67/रीटर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाआर्दएल० संख्या 33088/2014 की कृम में गठित जांच समिति की आख्या में प्रस्तावत धक/गादाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल दिव्यानी नहीं है	सम्म 4 में उल्लिखित गाढी के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्म 8 की दिव्यानी सव्यापित।
			456	0.1012						
			464	0.0025						
			465	0.0038						
				0.2612						
30	225 311	अकबर पुत्र याकूब नि० ग्राम	290	0.0506	1/3	0.2778	195	200	बन्दोबरत अधिकारी धकबन्दी गीतमबुद्दुनगर की पत्र संख्या 67/रीटर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाआर्दएल० संख्या 33088/2014 की कृम में गठित जांच समिति की आख्या में प्रस्तावत धक/गादाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल दिव्यानी नहीं है	सम्म 4 में उल्लिखित गाढी के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्म 8 की दिव्यानी सव्यापित।
			293	0.0468						
			294	0.1012						
			295	0.0506						
			296	0.0499						
			361	0.0810						
			365	0.0025						
			366	0.0063						
			367	0.1214						
			368	0.0076						
			397/1	0.1961						
			422	0.1195						
			Total	0.8335						
31	225 311	अखतर पुत्र याकूब नि० ग्राम	290	0.0506	1/3	0.2778	195	200	बन्दोबरत अधिकारी धकबन्दी गीतमबुद्दुनगर की पत्र संख्या 67/रीटर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाआर्दएल० संख्या 33088/2014 की कृम में गठित जांच समिति की आख्या में प्रस्तावत धक/गादाओ की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल दिव्यानी नहीं है	सम्म 4 में उल्लिखित गाढी के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्म 8 की दिव्यानी सव्यापित।
			293	0.0468						
			294	0.1012						
			295	0.0506						
			296	0.0499						
			361	0.0810						
			365	0.0025						
			366	0.0063						
			367	0.1214						
			368	0.0076						
			397/1	0.1961						
			422	0.1195						
			Total	0.8335						
32	225 311	ताजुददीन पुत्र याकूब नि० ग्राम	290	0.0506	1/3	0.2778	195	200	बन्दोबरत अधिकारी धकबन्दी गीतमबुद्दुनगर की पत्र संख्या 67/रीटर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाआर्दएल० संख्या 33088/2014 की कृम में गठित जांच समिति की आख्या में प्रस्तावत धक/गादाओ की भूमि के	सम्म 4 में उल्लिखित गाढी के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्म 8 की दिव्यानी सव्यापित।
			293	0.0468						
			294	0.1012						
			295	0.0506						
			296	0.0499						
			361	0.0810						
			365	0.0025						
			366	0.0063						
			367	0.1214						

33	241	जमालू, कमालुद्दीन, फजरमोहम्मद मुनफ़ेद पुत्रगण रहमू, श्रीमती रहमती पत्नी रहमू नि० ग्राम	368	0.0076	सम्पूर्ण	0.8696	609	610	बन्दोबस्त अधिकारी चक्रबन्दी गोमामदुद्दुनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पी०एच०आर्डीएल सं० 33068/2014 के क्रम में गठित जांच समिति की आख्या में प्रस्तावत धक/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	संलग्न 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए संलग्न 8 की टिप्पणी संवर्धित।				
			397/1	0.1961										
			422	0.1195										
			Total	0.8335										
			424	0.1644										
			425	0.2226										
			454/1	0.1265										
			454/2	0.0253										
			455	0.3055										
			456	0.0253										
Total	0.8696													
34	144	हफीजुल पत्नी स्व० नजर मोहम्मद, मुलकददीन, संजय, सहित पुत्रगण स्व० नजर मोहम्मद निवासी ग्राम TOTAL	270M	0.0101	1/5	0.6658	466	470	खाला सं० 60 के संलग्न 09 में बन्दोबस्त अधिकारी चक्रबन्दी गोमामदुद्दुनगर के पत्र सं० 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पी०एच०आर्डीएल सं० 33068/2014 के क्रम में गठित जांच समिति की आख्या में प्रस्तावत धक/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। गाटा सं० 284 का बन्दोबस्ती करवा 0-5-0 है तथा गाटा सं० 429 का बन्दोबस्ती सं० 1-15-0 है। गाटा के अधिग्रहीत/प्रति कर विवरित रकबा बन्दोबस्ती रकबे से अधिक तो नहीं है तथा संलग्न 4 में उल्लिखित शेष गाटाओं के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए संलग्न 8 की टिप्पणी संवर्धित। खाला सं० 144 के संलग्न 9 में बन्दोबस्त अधिकारी चक्रबन्दी गोमामदुद्दुनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पी०एच०आर्डीएल सं० 33068/2014 के क्रम में गठित जांच समिति की आख्या में प्रस्तावत धक/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। संलग्न-10 में गाटा सं० 275 का बन्दोबस्ती करवा 0-5-0 है तथा गाटा सं० 284 का बन्दोबस्ती रकबा 0-17-0 है तथा गाटा सं० 449 का बन्दोबस्ती रकबा 0-6-0 है। गाटा के अधिग्रहीत/प्रति कर विवरित रकबा बन्दोबस्ती रकबे से अधिक तो नहीं है तथा संलग्न 4 में उल्लिखित शेष	मृतक नजर मी० के वारिसों के नाम दर्ज।				
			271M	0.0122										
			275M	0.0470										
			276M	0.3036										
			277M	0.1265										
			278M	0.1973										
			279M	0.2081										
			281M	0.1841										
			282M	0.2303										
			283M	0.2492										
			284M	0.0544										
			286M	0.1682										
			287M	0.0253										
			288M	0.1265										
			290M	0.0633										
			291M	0.2024										
			292M	0.0885										
			293	0.1417										
			306	0.0949										
			307	0.0228										
			447	0.0822										
			427	0.1113										
			448	0.0316										
			449	0.0228										
			448	0.0253										
			450	0.0253										
			451	0.0885										
			452	0.1012										
			453	0.0885										
			457	0.0822										
			459	0.0379										
			460	0.0759										
				3.3291									0.6658	

										गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए रस्ता 8 की डिप्लोमी संशोधित।		
35	144	रहीमान पत्नी स्व० इंदरीस, अब्दुल सलाम, कुदरत अली, सलाउद्दीन पुत्रगण स्व० इंदरीश व नि० ग्राम	270M	0.0101	1/5	0.6658	466	470	खाना र० 60 के रस्ता 09 में बन्दोबस्त अधिकारी प्रकन्दो गौसमुद्दुद्गार के पत्र र० 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीएआईएल र० 33068/2014 के क्रम में मंडित जीध समिति की जीध आख्या में प्रस्तावत पत्र/गाटाओं की मुनि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोर्ट प्रतिकूल डिप्लोमी नहीं है। रस्ता-10 में गाटा र० 284 का बन्दोबस्ती करवा 0-5-0 है तथा गाटा र० 429 का बन्दोबस्ती र० 1-15-0 है। गाटा के अधिप्रीति/प्रति कर विवरित रकबा बन्दोबस्ती रकबे से अधिक तो नहीं है तथा रस्ता 4 में उल्लिखित रेश गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए रस्ता 8 की डिप्लोमी संशोधित। खाना र० 144 के रस्ता 9 में बन्दोबस्त अधिकारी प्रकन्दो गौसमुद्दुद्गार के पत्र रस्ता 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीएआईएल र० 33068/2014 के क्रम में मंडित जीध समिति की जीध आख्या में प्रस्तावत पत्र/गाटाओं की मुनि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोर्ट प्रतिकूल डिप्लोमी नहीं है। रस्ता-10 में गाटा र० 275 का बन्दोबस्ती करवा 0-5-0 है तथा गाटा र० 284 का बन्दोबस्ती रकबा 0-5-0 है तथा गाटा र० 427 का बन्दोबस्ती रकबा 0-17-0 है तथा गाटा र० 449 का बन्दोबस्ती रकबा 0-6-0 है। गाटा के अधिप्रीति/प्रति कर विवरित रकबा बन्दोबस्ती रकबे से अधिक तो नहीं है तथा रस्ता 4 में उल्लिखित रेश गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए रस्ता 8 की डिप्लोमी संशोधित।	गाटा र० 275 का रकबा बन्दोबस्ती रकबा 0 063280 की रीमा तक रहने को लिए दूधियाग परतानुसार पत्र र० 144 के कारवाकरी से से रकबा 0.037780 कम रहने हुए अवशेष रकबा 0.047080 की रीमा तक रहे जाने हेतु कारवाकरी ईंदरीस पुत्र नजफ अली से 1/5 भाग को अनुसार मूल विवरित रकबे से 0 047080 की रीमा तक रहे जाने पर कोई प्रतिकूल डिप्लोमी नहीं है। गाटा र० 284 का रकबा बन्दोबस्ती की रकबे की रीमा तक रहने को लिए पत्र परतानुसार पत्र र० 144 के कारवाकरी से 0.151880 कम रहने हुए अवशेष रकबा 0.054480 की रीमा तक रहने हेतु कारवाकरी ईंदरीस पुत्र नजफ अली 1/5 के अनुसार 0.030380 कम रहे जाने पर कोई प्रतिकूल डिप्लोमी नहीं है। गाटा र० 427 में कारवाकरी को बन्दोबस्ती रीमा के अन्दर मूल प्रतिकर विवरित होने के कारण पत्र र० 144 के कारवाकरी ईंदरीस पुत्र नजफ अली के प्रतिकर गाटा र० 427 0.11380 के 1/5 भाग अर्था 0.2280 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल डिप्लोमी नहीं है। गाटा र० 449 में कारवाकरी को बन्दोबस्त की रीमा के अन्दर मूल प्रतिकर विवरित होने के कारण पत्र र० 144 के कारवाकरी ईंदरीस पुत्र नजफ अली के प्रतिकर गाटा 449 रकबा 0 022880 के 1/5 भाग अर्था 0.044580 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल डिप्लोमी नहीं है।	मूलक इंदरीश पुत्र नजब अली के चारिस्तो के नाम दर्ज।	
			271M	0.0122								
			275M	0.0470								
			276M	0.3036								
			277M	0.1265								
			278M	0.1973								
			279M	0.2081								
			281M	0.1841								
			282M	0.2303								
			283M	0.2492								
			284M	0.0544								
			286M	0.1682								
			287M	0.0253								
			288M	0.1265								
			290M	0.0633								
			291M	0.2024								
			292M	0.0885								
			293	0.1417								
			306	0.0949								
			307	0.0228								
			447	0.0822								
			427	0.1113								
			448	0.0316								
			449	0.0228								
			448	0.0253								
			450	0.0253								
			451	0.0885								
			452	0.1012								
			453	0.0885								
			457	0.0822								
			459	0.0379								
			460	0.0759								
			Total	3.3291								
36	144	आस मोहम्मद, पुत्र नजफ अली नि० ग्राम	270M	0.0101	1/5	0.6658	466	470	खाना र० 60 के रस्ता 09 में बन्दोबस्त अधिकारी प्रकन्दो गौसमुद्दुद्गार के पत्र र० 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीएआईएल र० 33068/2014 के क्रम में मंडित जीध समिति की जीध आख्या में प्रस्तावत पत्र/गाटाओं की मुनि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोर्ट प्रतिकूल डिप्लोमी नहीं है। रस्ता-10 में गाटा र० 275 का बन्दोबस्ती करवा 0-5-0 है तथा गाटा र० 429 का बन्दोबस्ती रकबा 0-5-0 है तथा गाटा र० 449 का बन्दोबस्ती रकबा 0-6-0 है। गाटा के अधिप्रीति/प्रति कर विवरित रकबा बन्दोबस्ती रकबे से अधिक तो नहीं है तथा रस्ता 4 में उल्लिखित रेश गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए रस्ता 8 की डिप्लोमी संशोधित।	गाटा र० 275 का रकबा बन्दोबस्ती रकबा 0 063280 की रीमा तक रहने को लिए दूधियाग परतानुसार पत्र र० 144 के कारवाकरी से से रकबा 0.037780 कम रहने हुए अवशेष रकबा 0.047080 की रीमा तक रहे जाने हेतु कारवाकरी आस मोहम्मद पुत्र नजफ		
			271M	0.0122								
			275M	0.0470								
			276M	0.3036								
			277M	0.1265								
			278M	0.1973								

306	0.0949
307	0.0228
447	0.0822
427	0.1113
448	0.0316
449	0.0228
448	0.0253
450	0.0253
451	0.0885
452	0.1012
453	0.0885
457	0.0822
459	0.0379
460	0.0759
Toal	3.3291

रकबे से अधिक तो नहीं है तथा सन्ध 4 में उत्तिरहित शेष गाटाको के सम्बन्ध में पुर्त प्रकित आरका टिनक 11.05 2018 की पुष्टि करते हुए सन्ध 8 की टिप्पणी सत्यापित।
छाता रक 144 के सन्ध 9 में बन्दोबरत अधिकारी छकबन्दी गीतमदुन्दनार के पत्र सन्ध 67/रीडर टिनक 11.05 2018 द्वारा पीएआईटीएल रक 33068/2014 के कम में मॉडल जीव रहमिने की जीव आरका में प्रमाणन रक/गाटाको की मुक्ति की सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
सन्ध-10 में गाटा रक 275 का बन्दोबरती करवा 0-5-0 है तथा गाटा रक 284 का बन्दोबरती रकबा 0-5-0 है तथा गाटा रक 427 का बन्दोबरती रकबा 0-17-0 है तथा गाटा रक 449 का बन्दोबरती रकबा 0-6-0 है गाटाको अप्रोडिटील/प्रति कर विवरित रकबा बन्दोबरती रकबे से अधिक तो नहीं है तथा सन्ध 4 में उत्तिरहित शेष गाटा के सम्बन्ध में पुर्त प्रकित आरका टिनक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए सन्ध 8 की टिप्पणी सत्यापित।

कातरकार उमर मीहम्मद पुत्र नजक अली के प्रकित गाटा रक 427 0 111380 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
गाटा रक 449 में कातरकारो को बन्दोबरत की सीमा के अन्दर मूल प्रतिकर विवरित होने के कारण रक रक 144 के कातरकार उमर मीहम्मद पुत्र नजक अली के प्रकित गाटा 449 रकबा 0.022880 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

गाटा रक 275 का रकबा बन्दोबरती रकबा 0.063280 की सीमा तक रहने के लिए दृष्टिगत परतानुसार रक रक 144 के कातरकारो से से रकबा 0.037780 कम रहती है अतः प्रकित रकबा 0.047080 की सीमा तक रहे जाने हेतु कातरकार आस मीहम्मद पुत्र नजक अली से 1/5 भाग के अनुसार मूल विवरित रकबे से 0.0768 कम रहे जाने पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

गाटा रक 284 का रकबा बन्दोबरती की रकबे की सीमा तक रहने की मुक्ति तक परतानुसार रक रक 144 के कातरकारो से 0.151880 कम रहते हुए अवशेष रकबा 0.094480 की सीमा तक रहने हेतु कातरकार उमर मीहम्मद पुत्र नजक अली 1/5 के अनुसार 0.030380 कम रहे जाने पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

गाटा रक 427 में कातरकार को बन्दोबरती की सीमा के अन्दर मूल प्रतिकर विवरित होने के कारण रक रक 144 के कातरकार उमर मीहम्मद पुत्र नजक अली के प्रकित गाटा रक 427 0 111380 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

गाटा रक 449 में कातरकारो को बन्दोबरत की सीमा के अन्दर मूल प्रतिकर विवरित होने के कारण रक रक 144 के कातरकार उमर मीहम्मद पुत्र नजक अली के प्रकित गाटा 449 रकबा 0.022880 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

गाटा रक 449 रकबा 0.022880 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

गाटा रक 449 रकबा 0.022880 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

गाटा रक 449 रकबा 0.022880 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

गाटा रक 449 रकबा 0.022880 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

गाटा रक 449 रकबा 0.022880 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

गाटा रक 449 रकबा 0.022880 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

गाटा रक 449 रकबा 0.022880 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

			459	0.0379					रघु 33068/2014 के कम से गठित जमीन रसमिती की जमीन आख्या में प्रस्तावित खस/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। रसम-10 में गाटा रघु 275 का बन्दोबस्ती करबा 0-5-0 है तथा गाटा रघु 284 का बन्दोबस्ती रकबा 0-5-0 है तथा गाटा रघु 427 का बन्दोबस्ती रकबा 0-17-0 है तथा गाटा रघु 449 का बन्दोबस्ती रकबा 0-6-0 है। गाटाओं अतिप्रतिभा/प्रति कर विवरित रकबा बन्दोबस्ती रकबे से अधिक तो नहीं है तथा रसम 4 में उल्लिखित रोग गाटों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए रसम 8 की टिप्पणी सत्यापित।	
			460	0.0759						
			Total	3.3291						
39	321	सलीमुद्दीन पुत्र शाकर नि० ग्राम	127	0.0215	सम्पूर्ण	0.1024	72	70	चकबन्दी विभाग द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रस्तावित खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	रसम 5 में उल्लिखित गाटों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए रसम 9 की टिप्पणी सत्यापित।
			128	0.0051						
			129	0.0379						
			130	0.0379						
			Total	0.1024						
40	413	बाबू व कूडे पुत्रगण हरीपत व शहजाद पुत्र बाबू नि० ग्राम	52/1	0.0632	सम्पूर्ण	0.3541	248	250	चकबन्दी विभाग द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रस्तावित खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	रसम 5 में उल्लिखित गाटों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए रसम 9 की टिप्पणी सत्यापित।
			52/2	0.2530						
			52/3	0.0379						
			Total	0.3541						
41	47A	केहर अली पुत्र दोस्त मोहम्मद नि० ग्राम	86	0.0506	सम्पूर्ण	0.2156	151	150	चकबन्दी विभाग द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रस्तावित खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	रसम 5 में उल्लिखित गाटों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए रसम 9 की टिप्पणी सत्यापित।
			118	0.0885						
			2/845	0.0765						
			Total	0.2156						
42	118	दीनू पुत्र गफूरा नि० ग्राम	552	0.1999	सम्पूर्ण	1.5039	1052	1050	बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी गीतमबुदुनगर के पत्र संख्या 67/रीडर के अन्तर्गत प्राप्त आख्या से एक संख्या 118 के गाटा संख्या 545 प्रेषित है जिसमें कुक्को को अतिप्रतिभा प्रतिकर विवरित किया जाना उचित नहीं होगा। प्रस्तावित गाटा संख्या 552,553,554,55 557/2,578 /1,578/2,49 3,494/3,495 /2,496 व 554 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है किन्तु उल्लिखित तथ्यों में आलोचक से प्रतिकर की दानदंड के विवरण किया जाना उचित नहीं है।	गाटा संख्या 574 का बन्दोबस्ती रकबा 3-4-0 है जिससे सम्पन्न चक संख्या 30,272,240,118 के कुक्कगणों द्वारा रकबा कमरा 0.0892,0.1828,0.0835,0.0003 री० का मूल प्रतिकर प्राप्त किया है जिसका कुल योग 0.3618 है जो बन्दोबस्ती रकबे की सीमा के अन्तर्गत वर्धित है तथा गाटा संख्या 577 में का रकबा बन्दोबस्ती रकबे की सीमा तक दुधिगत परतानुसार चक संख्या 118 के कारतकार दीनू पुत्र गफूरा से गाटा संख्या 577 में रकबा 0.0097 री० कम करते हुये अवशेष रकबे 0.0744 की सीमा तक तथा गाटा संख्या 578 में रकबा 0.0036 री० कम करते हुये अवशेष रकबा 0.0381 री० की सीमा तक तथा गाटा संख्या 545 में प्रतिष्ठ रकबे 0.2062 री० की सीमा तक कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
			553	0.3163						
			554	0.1138						
			555	0.1461						
			574/2	0.0063						
			577/1	0.0156						
			577/2	0.0588						
			578/1	0.0002						
			578/2	0.0379						
			493	0.0215						
			494/3	0.1284						
			495/2	0.0506						
			496	0.0126						
			554	0.1897						
			545/1	0.2062						
			TOTAL	1.5039						
43	60	हफीजुन पत्नी ख० नजर मोहम्मद, मुलकददीन, संजय, सहित पुत्रगण ख० नजर मोहम्मद	238	0.0126	1/5	0.3601	252	250	खता रघु 60 के रसम 09 में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी	गाटा रघु 284क रकबा बन्दोबस्ती रकबे की सीमा तक रखे जाने के दुधिगत परतानुसार चक रघु 60 के कारतकारी से
			240	0.0076						
			279	0.0322						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										रख 33068/2014 के क्रम में गठित जीव रसमिति की जीव आख्या में प्रमाणित चक्र/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिबुद्ध दिव्यानी नहीं है। रसम-10 में गाटा रस 275 का बन्दीबस्ती करवा 0-5-0 है तथा गाटा रस 284 का बन्दीबस्ती रकबा 0-5-0 है तथा गाटा रस 427 का बन्दीबस्ती रकबा 0-17-0 है तथा गाटा रस 449 का बन्दीबस्ती रकबा 0-6-0 है गाटाके अतिप्रदीप्त/प्रति कर दिवसित रकबा बन्दीबस्ती रकबा से अधिक तो नहीं है तथा रसम 4 में उत्तिरहित शेष गाटा के सम्बन्ध में पूर्ण प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए रसम 8 की दिव्यानी संस्थापित।	
46	60	उमर मौहम्मद, पुत्र नजफ अली नि० ग्राम	238 240 279 280 282 283 284 285 286 289 290 293 367 397/1 398 421 422 361 377 378 383 384 385 429 431 432 TOTAL	0.0126 0.0076 0.0322 0.0126 0.0164 0.0664 0.0088 0.0759 0.0468 0.0632 0.0803 0.0980 0.0025 0.1138 0.0885 0.0841 0.1663 0.0076 0.0253 0.0253 0.0253 0.0379 0.0126 0.0186 0.4573 0.2150 1.8009	1/5	0.3601	252	250	खाला रस 60 के रसम 09 में बन्दीबस्ती अधिकारी चक्रबन्दी गीतमकुदंगर के पुत्र रस 67/रीडर दिनांक 11.05. 2018 द्वारा वीएआईएल रस 33068/ 2014 के क्रम में गठित जीव रसमिति की जीव आख्या में प्रमाणित चक्र/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिबुद्ध दिव्यानी नहीं है। रसम-10 में गाटा रस 284 का बन्दीबस्ती करवा 0-5-0 है तथा गाटा रस 429 का बन्दीबस्ती रस 0-15-0 है गाटा के अतिप्रदीप्त/प्रति कर दिवसित रकबा बन्दीबस्ती रकबा से अधिक तो नहीं है तथा रसम 4 में उत्तिरहित शेष गाटा के सम्बन्ध में पूर्ण प्रेषित आख्या दिनांक 11.05. 2018 की पुष्टि करते हुए रसम 8 की दिव्यानी संस्थापित। खाला रस 144 के रसम 9 में बन्दीबस्ती अधिकारी चक्रबन्दी गीतमकुदंगर के पुत्र रसम 67/रीडर दिनांक 11.05. 2018 द्वारा वीएआईएल रस 33068/2014 के क्रम में गठित जीव रसमिति की जीव आख्या में प्रमाणित चक्र/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिबुद्ध दिव्यानी नहीं है। रसम-10 में गाटा रस 275 का बन्दीबस्ती करवा 0-5-0 है तथा गाटा रस 284 का बन्दीबस्ती रकबा 0-5-0 है तथा गाटा रस 427 का बन्दीबस्ती रकबा 0-17-0 है तथा गाटा रस 449 का	गाटा रस 284 का रकबा बन्दीबस्ती रकबा की सीमा तक रखे जाने के दृष्टिकोण परामर्शपर चक्र रस 60 के कारखाने से रकबा 0.004880 कम रखते हुए अवशेष रकबा 0.018680 की सीमा तक रखने हेतु सख्खीदार /चक्रदार उमर मौहम्मद पुत्र नजफ अली से 1/5 भाग के अनुसार 0 005080 कम रखे जाने पर कोई प्रतिबुद्ध दिव्यानी नहीं। गाटा रस 429 का रकबा बन्दीबस्ती रकबा की सीमा तक रखे जाने के दृष्टिकोण परामर्शपर चक्र रस 60 के कारखाने से रकबा 0.004880 कम रखते हुए अवशेष रकबा 0.018680 की सीमा तक रखे जाने हेतु सख्खीदार/कारखाने उमर मौहम्मद पुत्र नजफ अली से 1/5 भाग के अनुसार मूल दिवसित रकबा से 0.000980 कम रखे जाने पर कोई प्रतिबुद्ध दिव्यानी नहीं है।	

			331	0.0759					है तथा गाटा संख्या 357 का बन्दीदस्तरी रकबा 0-5-0 है तथा गाटा संख्या 400 का बन्दीदस्तरी रकबा 0-11-0 है गाटा की अचिपटरी, 270 अचिपटरी रकबा बन्दीदस्तरी रकबा से अधिक ली नहीं है। तथा गाटा संख्या 491/2 में स्थान पर 491/3 होगा बाहिरी तथा 355/1 में रकबा 0.0316 की स्थान पर 0.2277 है। तथा 355/2 में रकबा 0.2277 की स्थान पर 0.0316 हो होगा बाहिरी	को दृष्टिगत परामुसार एक संख्या 174 की कुचकाण फावक पुत्र अहमद से एक में प्रविष्ट गाटा संख्या 356 रकबा 0-8-18 में से 0-1-10 रकबा कम करते हुए गाटा संख्या 357 रकबा 0-7-8 की सीमा तक द गाटा संख्या 357 रकबा 0-2-0 में से 0-1-3 रकबा कम करते हुए गाटा संख्या 357 की अवशेष बचे रकबा 0-0-17 की सीमा तक द गाटा संख्या 400 रकबा 0-10-8 में से 0-1-16 रकबा कम करते हुए 0-8-12 की सीमा तक कोट प्रतिकूल दिखती नहीं है।
	101		332	0.0379						
			353	0.0126						
			354/1	0.2024						
			354/2	0.1328						
			355/1	0.0316						
			355/2	0.2277						
			356	0.0934						
			357	0.0107						
			399	0.1120						
			400	0.1086						
			401	0.1100						
			402	0.1619						
			403	0.1012						
			404	0.0126						
			405	0.0126						
			455	0.0063						
			483	0.0044						
			484	0.0360						
			490/3	0.0506						
			491/2	0.0253						
			556	0.2302						
			Total	1.9737						
			478	0.0696	1/15	0.0113			सकलरी विभाग द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रमाणित करने सम्बन्ध की मुक्ति को सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोट प्रतिकूल दिखती नहीं है।	सम्मा 5 में उत्तरिखित गाटा की सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की मुक्ति करते हुए सम्मा 9 की दिखती सम्बन्धित।
			480	0.0759						
			482	0.0253						
			Total	0.1708		1.9850				
			G.Total	2.1445						
49	2455 111	रियाज मौहम्मद पुत्र लतीफ	237	0.0012	सम्पूर्ण	0.6583	460	460	सकलरी विभाग द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रमाणित करने सम्बन्ध की मुक्ति को सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोट प्रतिकूल दिखती नहीं है।	सम्मा 5 में उत्तरिखित गाटा की सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की मुक्ति करते हुए सम्मा 9 की दिखती सम्बन्धित।
			239	0.2150						
			240	0.1265						
			300	0.0310						
			301	0.0506						
			302	0.2340						
				0.6583						
			कुल योग			33.8506	17733	17760		

ग्राम फतेहपुर अट्टा के 100.9381 हे०, 35.4367हे०, 40.9446हे० व 2.4530हे० अर्जित/कब्जा के सापेक्ष 70वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के कम में काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के कम में काश्तकारों की अंतिम सूची-ख

क्र० सं०	खाता संख्या	काश्तकार का नाम व पता	अधिग्रहित/क्रय भूमि का खसरा सं०	अधिग्रहित/क्रय भूमि का क्षेत्रफल	काश्तकार का भाग	काश्तकार का भागानुसार क्षेत्रफल	अधिग्रहीत भूमि का 7 प्रतिशत क्षेत्रफल	वास्तविक रूप से दिये जाने वाला भूखण्ड का क्षेत्रफल	SIT जॉच में अंकित टिप्पणी	चकबन्दी अधिकारी गौतमबुद्धनगर तथा जिलाधिकारी (भू०अ०) गौतमबुद्धनगर के कार्यालय से आख्या	अन्य विवरण
1	249 A	राकेश वर्मा पुत्र रामचन्द्र वर्मा नि० 1895, उदयचन्द मार्ग, कोटला, मुबारिकपुर, दिल्ली	111	0.0854	1/2	1.2032	842	840	चकबन्दी विभाग द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 1.05.2018 में प्रस्तावित खसरा नक्शा की भूमि को सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है परन्तु गाटा संख्या 124 का बन्दीवस्ती रकबा 0-12-0 है तथा गाटा संख्या 125 का बन्दीवस्ती रकबा 0-13-0 है गाटा की अधिग्रहीत/प्रतिकर विवरण रकबा बन्दीवस्ती रकबा से अधिक तो नहीं है	गाटा संख्या 124 का रकबा बन्दीवस्ती रकबा की सीमा तक रखे जाने की दृष्टिगत परतानुसार चक संख्या 249 अ के काश्तकार राकेश वर्मा पुत्र रामचन्द्र वर्मा से गाटा संख्या 124 में रकबा 0-0-3 (0.0019 हे०) का 1/2 भाग अर्थात् 0.0019 हे० रकबा कम करते हुये गाटा संख्या 124 की चक में प्रविष्ट अर्थात् रकबा 0-0-5 (0.0031 हे०) के 1/2 भाग अर्थात् की सीमा तक कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है तथा गाटा संख्या 125 का बन्दीवस्ती रकबा की सीमा तक रखे जाने की दृष्टिगत परतानुसार चक संख्या 249 अ के काश्तकार राकेश वर्मा पुत्र रामचन्द्र वर्मा से गाटा संख्या 125 में रकबा 0-1-1 (0.0133 हे०) का 1/2 भाग अर्थात् 0.0066 हे० कम करते हुये गाटा संख्या 125 के अर्थात् रकबा 0-1-1 (0.0247 हे०) के 1/2 भाग अर्थात् रकबा 0.0123 हे० की सीमा तक कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	केता द्वारा दिनांक 30.04.1987 में बैनामा किया गया है।
			112	0.1701							
			106	0.0759							
			116	0.0797							
			117	0.4010							
			119	0.0253							
			120	0.3415							
			122	0.1645							
			123	0.0759							
			124	0.0015							
			125	0.0123							
			126	0.0734							
			127	0.0101							
			128	0.2511							
			129	0.3112							
			130	0.2277							
			131	0.0999							
			Total	2.4065							
2	62a	नेमपाल पुत्र जमपाल व बूली पुत्र परमाल नि० घरबरा	441	0.3055	सम्पूर्ण	0.4509	316	320	बन्दीवस्ती अधिकारी चकबन्दी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाआईएल० संख्या 33088/2014 की क्रम में गठित जांच रफिती की आख्या में प्रस्तावित चक/गाटाओं की भूमि को सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है	संलग्न 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये संलग्न 8 की टिप्पणी सत्यापित।	प्रतिकरण की स्थापना की तिथि से पूर्व खाली सलग्न
			442	0.0847							
			443	0.0234							
			478	0.0373							
			Total	0.4509							
3	271B	रिषीपाल सिंह उर्फ रिषीपाल सिंह पुत्र छोटन सिंह नि० हबीबपुर	262	0.0759	1/4	0.3940	276	280	बन्दीवस्ती अधिकारी चकबन्दी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाआईएल० संख्या 33088/2014 की क्रम में गठित जांच रफिती की आख्या में प्रस्तावित चक/गाटाओं की भूमि को सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है	संलग्न 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये संलग्न 8 की टिप्पणी सत्यापित।	प्रतिकरण की स्थापना की तिथि से पूर्व खाली सलग्न
			370	0.0354							
			384	0.4586							
			385	0.3479							
			386	0.1651							
			387	0.1391							
			Total	1.2220							
			165	0.0632							
	271 B (40h)		166	0.1644							
			168	0.0380							
			169	0.0886							
			Total	0.3542							
			G.total	1.5762							
4	271B	सत्यपाल सिंह पुत्र छोटन सिंह नि० हबीबपुर	262	0.0759	1/4	0.3940	276	280	बन्दीवस्ती अधिकारी चकबन्दी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाआईएल० संख्या 33088/2014 की क्रम में गठित जांच रफिती की आख्या में प्रस्तावित चक/गाटाओं की भूमि को सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है	संलग्न 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये संलग्न 8 की टिप्पणी सत्यापित।	प्रतिकरण की स्थापना की तिथि से पूर्व खाली सलग्न
			370	0.0354							
			384	0.4586							
			385	0.3479							
			386	0.1651							
			387	0.1391							
			Total	1.2220							
			165	0.0632							
	271 B (40h)		166	0.1644							
			168	0.0380							
			169	0.0886							
			Total	0.3542							
			G.total	1.5762							

5	271B	ब्रह्मपाल सिंह पुत्र छुटन सिंह नि० हबीबपुर	262	0.0759	1/4	0.3940	276	280	बनोबरत अधिकारी सकबन्दी नीमबुदुनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाडोरल संख्या 33088/2014 के कम में गणित जाय रहित की आख्या में प्रस्ताव चक/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किरी प्रकार की कोर्ट प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	संख्या 4 में उत्तिरहित गाटों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए संख्या 8 की टिप्पणी संचायित।	प्रधिकरण की स्थापना की तिथि से पूर्व खाली संलग्न		
			370	0.0354									
			384	0.4586									
			385	0.3479									
			386	0.1651									
			387	0.1391									
			Total	1.2220									
			165	0.0632									
			166	0.1644									
			168	0.0380									
			169	0.0886									
			Total	0.3542									
			G.Total	1.5762									
6	271B	रविन्द कुमार पुत्र छुटन सिंह नि० हबीबपुर	262	0.0759	1/4	0.3940	276	280	बनोबरत अधिकारी सकबन्दी नीमबुदुनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनांक 11.05.2018 द्वारा पीछाडोरल संख्या 33088/2014 के कम में गणित जाय रहित की आख्या में प्रस्ताव चक/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किरी प्रकार की कोर्ट प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	संख्या 4 में उत्तिरहित गाटों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए संख्या 8 की टिप्पणी संचायित।	प्रधिकरण की स्थापना की तिथि से पूर्व खाली संलग्न		
			370	0.0354									
			384	0.4586									
			385	0.3479									
			386	0.1651									
			387	0.1391									
			Total	1.2220									
			165	0.0632									
			166	0.1644									
			168	0.0380									
			169	0.0886									
			Total	0.3542									
			G.Total	1.5762									
7	40B	हरवीर पुत्र वीर सिंह नि० अट्टा गुजरान	496/2	0.0759	1/2	0.1836	128	130	गाटा संख्या 501 का बनोबरती रकबा 1-16-0 है। गाटा की अधिप्रीत/प्रतिकर विरत रकबा बनोबरती रकबा से अधिक ली नहीं है।	गाटा संख्या 501 का बनोबरती रकबा की रकबा रखे जाने के दृष्टिगत परतानुसार चक संख्या 40B के कुचकागण हरवीर पुत्र वीर के चक में प्रतिष्ठ गाटा संख्या 501/2 रकबा 0-6-16 में से 0-0-19 रकबा कम करते हुए प्रतिर विरत हरवीर 1/2 अंश का मासिक है तदनुसार 0-0-19 का 1/2 कम करते हुए गाटा संख्या 501/2 के अवशेष बचे रकबा 0-5-17 की रकबा तक कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	प्रधिकरण की स्थापना तिथि से पूर्व से जन्मद के पुरतनी कारतकार होने के सम्बन्ध में साक्ष्य पत्रावली के दावी ओ संलग्न		
			497/2	0.0253									
			500/2	0.0632									
			501/2	0.0739									
			504/2	0.1290									
			TOTAL	0.3673									
			8	178A								तेजपाल सिंह पुत्र कर्ण सिंह उर्फ कर्म सिंह नि० सूरजपुर	77e
21	0.0101												
23	0.0601												
25	0.0759												
26	0.0480												
27	0.1075												
30	0.2530												
31	0.2404												
36	0.0759												
37	0.0886												
TOTAL	0.9595												
134	0.0095	1/4			0.0348			सकबन्दी विभाग द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रस्ताव खसरा नम्बरन की भूमि के सम्बन्ध में किरी प्रकार की कोर्ट प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	संख्या 5 में उत्तिरहित गाटों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए संख्या 9 की टिप्पणी संचायित।	संख्या 5 में उत्तिरहित गाटों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुए संख्या 9 की टिप्पणी संचायित।			
136	0.0259												
140	0.1036												
TOTAL	0.1390												
G	1.1238												
TOTAL													
9	178A	विक्रम सिंह पुत्र कर्ण सिंह उर्फ कर्म सिंह नि० सूरजपुर	77M	0-0253	1/4	0.0063	196	200	सकबन्दी विभाग द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.05.2018 में प्रस्ताव खसरा नम्बरन की भूमि के सम्बन्ध में किरी प्रकार की कोर्ट प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	बनोबरती रकबा की रकबा तक गाटा संख्या 77 का रकबा रखे जाने के दृष्टिगत परतानुसार चक संख्या 1783 के कुचकागण तेजपाल अदि से चक में प्रतिष्ठ गाटा संख्या 77 रकबा 0-2-6 में से 0-0-6 रकबा कम करते हुए गाटा के अवशेष बचे रकबा 0-2-0 की रकबा तक कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	प्रधिकरण की स्थापना तिथि से पूर्व जन्मद की पुरतनी होने के सम्बन्ध में कर्म 23 की प्रति दावी और संलग्न		
			21	0.0101									
			23	0.0601									
			25	0.0759									
			26	0.0480									
			27	0.1075									

32

			30	0.2530					में गाटा संख्या 23 का बन्दोबस्ती रकबा 1-16-0 है। गाटा की अटिपट्टी / अधिकार विहीन रकबा बन्दोबस्ती रकबे से अधिक नहीं होना चाहिये।		
			31	0.2404							
			36	0.0759							
			37	0.0886							
			TOTAL	0.9595							
			134	0.0095	1/4	0.0347			ककबन्दी किताब द्वारा प्रेषित आख्या दिनक 11.05.2018 में प्रस्तावत खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अधिकृत दिव्यानी नहीं है।	सम्मा 5 में उल्लिखित गाटा की सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्मा 9 की दिव्यानी सत्यापित।	
			136	0.0259							
			140	0.1036							
			TOTAL	0.1390							
			G			0.2810					
			TOTAL	1.1238							
10	178A	राजवीर सिंह पुत्र कर्ण सिंह उर्फ कर्म सिंह नि० सूरजपुर	77M	0-0253	1/4	0.0063	196	200	ककबन्दी किताब द्वारा प्रेषित आख्या दिनक 11.05.2018 में प्रस्तावत खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अधिकृत दिव्यानी नहीं है।	बन्दोबस्ती रकबे की सीमा तक गाटा संख्या 77 का रकबा खले जाने की सुविधा परसंगत रूप से संख्या 178A के क्षेत्रगत गाटा अदि से एक में प्रविष्ट गाटा संख्या 77 रकबा 0-2-6 में से 0-0-6 रकबा कम करते हुये गाटा के अवशेष बचे रकबा 0-2-0 की सीमा तक कोई अधिकृत दिव्यानी नहीं है।	प्रतिफल की स्थापना विधि से पूर्व जमानत की पुस्तकी होने के सम्बन्ध में फार्म 23 की प्रति जारी और संलग्न
			21	0.0101	1/4	0.2398			ककबन्दी किताब द्वारा प्रेषित आख्या दिनक 11.05.2018 में प्रस्तावत खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अधिकृत दिव्यानी नहीं है। सम्मा 10 में गाटा संख्या 23 का बन्दोबस्ती रकबा 1-16-0 है। गाटा की अटिपट्टी / अधिकार विहीन रकबा बन्दोबस्ती रकबे से अधिक नहीं होना चाहिये।	एक संख्या 178A में प्रविष्ट गाटा संख्या 23 रकबा 0-4-15 का प्रविष्ट दिव्यानी गाटा 23 की बन्दोबस्ती रकब की सीमा के अन्दर होने के कारण कोई अधिकृत दिव्यानी नहीं है।	
			23	0.0601							
			25	0.0759							
			26	0.0480							
			27	0.1075							
			30	0.2530							
			31	0.2404							
			36	0.0759							
			37	0.0886							
			TOTAL	0.9595							
			134	0.0095	1/4	0.0347			ककबन्दी किताब द्वारा प्रेषित आख्या दिनक 11.05.2018 में प्रस्तावत खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अधिकृत दिव्यानी नहीं है।	सम्मा 5 में उल्लिखित गाटा की सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्मा 9 की दिव्यानी सत्यापित।	
			136	0.0259							
			140	0.1036							
			TOTAL	0.1390							
			G	1.1238		0.2810					
			TOTAL								
11	214 A	श्रीचन्द पुत्र छुट्टन नि० हबीबपुर	367	0.1012	1/5	0.1239	87	90	बन्दोबस्त अधिकारी ककबन्दी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनक 11.05.2018 द्वारा पीछाअर्द्धरसो संख्या 33088/2014 के कृम में मंजित जाय रसमि की आख्या में प्रस्तावत एक/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अधिकृत दिव्यानी नहीं है।	सम्मा 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्मा 8 की दिव्यानी सत्यापित।	प्रतिफल की स्थापना विधि से पूर्व से जमानत के पुरानी कारवाय होने के सम्बन्ध में सख्त पत्रावली के जारी ओ संलग्न
			391	0.0126							
			392	0.2302							
			393	0.0797							
			394	0.0063							
			396	0.0632							
			397/1	0.1265							
			TOTAL	0.6197							
12	214 A	ऋषिपाल पुत्र छुट्टन नि० हबीबपुर	367	0.1012	1/5	0.1239	87	90	बन्दोबस्त अधिकारी ककबन्दी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनक 11.05.2018 द्वारा पीछाअर्द्धरसो संख्या 33088/2014 के कृम में मंजित जाय रसमि की आख्या में प्रस्तावत एक/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अधिकृत दिव्यानी नहीं है।	सम्मा 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्मा 8 की दिव्यानी सत्यापित।	प्रतिफल की स्थापना विधि से पूर्व से जमानत के पुरानी कारवाय होने के सम्बन्ध में सख्त पत्रावली के जारी ओ संलग्न
			391	0.0126							
			392	0.2302							
			393	0.0797							
			394	0.0063							
			396	0.0632							
			397/1	0.1265							
			TOTAL	0.6197							
13	214 A	सत्यपाल पुत्र छुट्टन नि० हबीबपुर	367	0.1012	1/5	0.1239	87	90	बन्दोबस्त अधिकारी ककबन्दी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनक 11.05.2018 द्वारा पीछाअर्द्धरसो संख्या 33088/2014 के कृम में मंजित जाय रसमि की आख्या में प्रस्तावत एक/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अधिकृत दिव्यानी नहीं है।	सम्मा 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्मा 8 की दिव्यानी सत्यापित।	प्रतिफल की स्थापना विधि से पूर्व से जमानत के पुरानी कारवाय होने के सम्बन्ध में सख्त पत्रावली के जारी ओ संलग्न
			391	0.0126							
			392	0.2302							
			393	0.0797							
			394	0.0063							
			396	0.0632							
			397/1	0.1265							
			TOTAL	0.6197							
14	214 A	ब्रह्मपाल सिंह पुत्र छुट्टन नि० हबीबपुर	367	0.1012	1/5	0.1239	87	90	बन्दोबस्त अधिकारी ककबन्दी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 67/रीडर दिनक 11.05.2018 द्वारा पीछाअर्द्धरसो संख्या 33088/2014 के कृम में मंजित जाय रसमि की आख्या में प्रस्तावत एक/गाटाओं की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की	सम्मा 4 में उल्लिखित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या दिनक 11.05.2018 की पुष्टि करते हुये सम्मा 8 की दिव्यानी सत्यापित।	प्रतिफल की स्थापना विधि से पूर्व से जमानत के पुरानी कारवाय होने के सम्बन्ध में सख्त पत्रावली के जारी ओ संलग्न
			391	0.0126							
			392	0.2302							
			393	0.0797							
			394	0.0063							
			396	0.0632							
			397/1	0.1265							
			TOTAL	0.6197							

15	214 A	रविन्द पुत्र छोट्टन नि0 हबीबपुर	367	0.1012	1/5	0.1239	87	90	कोर्ट प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है	सत्रमा 4 में उत्तरिष्ठित गाटा के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित आख्या टिप्पण 11.05.2018 की मुद्रित करते हुये सत्रमा 8 की टिप्पणी सत्यापित।	प्रधिकरण की व्यंग्यता विधि से पूर्व जजमद के पुनरीनी काररकार होने के सम्बन्ध में सक्ष्य पञ्चवरी के दादी ओ सलग्न
			391	0.0126							
			392	0.2302							
			393	0.0797							
			394	0.0063							
			396	0.0632							
			397/1	0.1265							
			TOTAL	0.6197							
16	249 A	रनदीप वर्मा पुत्र रामचन्द्रवर्मा नि0 1895, उदेयचन्द मार्ग, कोटला, दिल्ली	111	0.0854	1/2	1.2032	842	840	बन्दीवरी किमार्ग द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 1.05.2018 में प्ररनगत खरस सम्बन्धन की मुक्ति के सम्बन्ध में कोर्ट प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है परन्तु गाटा संख्या 124 का बन्दीवरी रकबा 0-12-0 है तथा गाटा संख्या 125 का बन्दीवरी रकबा 0-13-0 है। गाटा के अधिप्रीति/प्रतिकर दिलररेर रकबा बन्दीवरी रकबा से अधिक ती नहीं है	गाटा संख्या 124 का रकबा बन्दीवरी रकबा की सीमा तक रखे जाने के तृष्टिगत पररनगतस चक संख्या 249 अ के काररकार रकबा वर्मा पुत्र रामचन्दर वर्मा से गाटा संख्या 124 में रकबा 0-0-3 (0.0019 है0) का 1/2 भाग अर्थात 0.0010 है0 रकबा कम करते हुये गाटा संख्या 124 के चक में प्रतिकर अवशेष रकबा 0-0-5 (0.0031 है0) की 1/2 भाग अर्थात की सीमा तक कोर्ट प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है तथा गाटा संख्या 125 का बन्दीवरी रकबा की सीमा तक रखे जाने के तृष्टिगत पररनगतस चक संख्या 249अ के काररकार रकबा वर्मा पुत्र रामचन्दर वर्मा से गाटा संख्या 125 में रकबा 0-1-1(0 0133 है0)का 1/2 भाग अर्थात 0 0066 है0 कम करते हुये गाटा संख्या 125 की अवशेष रकबा 0-1-19(0 0247)की 1/2 भाग अर्थात रकबा 0 0123 है0 की सीमा तक कोर्ट प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	केता द्वारा दिनांक 30, 04.1987 में बैनामा किया गया है।
			112	0.1701							
			106	0.0759							
			116	0.0797							
			117	0.4010							
			119	0.0253							
			120	0.3415							
			122	0.1645							
			123	0.0759							
			124	0.0015							
			125	0.0123							
			126	0.0734							
			127	0.0101							
			128	0.2511							
			129	0.3112							
			130	0.2277							
			131	0.0999							
			Total	2.4065							
			कुल योग			6.9220	4255	4300			

